उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 68वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 28.08.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य/सचिव
3. श्री गिरीश चन्द्र चौबे, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

<u>विशेष आमंत्रीः–</u>

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री आर0 आर0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री सलील कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
5. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
6. श्री एन0आर0 नागर, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
7. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री कमल कुमार, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
10. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
11. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 68वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:–	**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न हुई 67वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**
कार्यवाही/निर्णयः–	निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 67वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
एजेण्डा बिन्दु–02:–	**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न 67वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**
कार्यवाही/निर्णयः–	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न हुई 67वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।
एजेण्डा बिन्दु–03:–	**उत्तर प्रदेश में "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" का कियान्वयन : आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर–राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।**
कार्यवाही/निर्णयः–	निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर-राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 19 जनवरी 2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में अंततः पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यूपीडा को उनके सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत रु. 5100.00 करोड़ के ऋण का स्वीकृति पत्र दिनांक 06 अगस्त 2021 उपलब्ध कराया गया था। इस ऋण-स्वीकृति-पत्र में इंगित मुख्य शर्तों का संज्ञान लेते हुए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर-राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से उनकी इस संबंध में सामान्य शर्तों के आधीन ऋण प्राप्त करने के लिए निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत संकल्प पारित किया गया:-

संकल्प: Resolution

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Board held on 28 August 2021, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA by Punjab National Bank for availing a term loan of Rs 5100.00 crore (Rupees Five Thousand and One Hundred Crore only) against Securitisation of Toll Revenue of UPEIDA from Agra – Lucknow Expressway for the purpose of adjustment of existing outstanding debts of Indian Bank, for use by UPEIDA for partly funding the purchase of land for the proposed Ganga Expressway Project in the State of Uttar Pradesh and for expansion of its existing business, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 06 August 2021 (a copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, had been circulated as a part of agenda placed before the Board) be and is hereby accepted."

b. "That the borrowing power of UPEIDA be enhanced by Rs 5100.00 crore (Rupees Five Thousand and One Hundred Crore only) to enable UPEIDA to avail the aforementioned term loan from Punjab National Bank for Rs 5100.00 crore (Rupees Five Thousand and One Hundred Crore only) and that the aforesaid borrowing from aforementioned bank is in accordance with the State Government Approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter of the Bank and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Term Loan Agreement as finalised by the Punjab National Bank and such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Punjab National Bank in this regard."

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Bank (as per the standard formats with such modifications / amendments as may be agreed to between Bank and UPEIDA)."

g. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Term Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–04:– **आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।**

यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न 67वीं बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया था कि, आरबिट्रल पैनल द्वारा प्रकरण में सुनवाई अगली तिथि दिनांक 25.07.2021 निर्धारित की गयी है। प्रकरण में अग्रिम विवरण निम्नवत् है।

I. दिनांक 25.07.2021 को यूपीडा के शपथियों यथा श्री विश्वजीत राय, वित्त नियत्रंक यूपीडा, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा एवं श्री अरविन्द्र कुमार वर्मा, टीम लीडर, अथॉरिटी इंजीनियर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का Cross Examination सम्पन्न किया गया।

II. दिनांक 25.07.2021 को सुनवाई के उपरान्त आरबिट्रल पैनल द्वारा Procedural Order-10 दिनांक 25.07.2021 निर्गत किया गया जिसे पुनः संशोधित करते हुए दिनांक 29.07.2021 को E-mail के माध्यम से निर्गत किया गया।

III. संशोधित Procedural Order-10 के माध्यम से आरबिट्रल पैनल द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

In consultation with learned Advocates for parties, the Claimant is required to file its written arguments with copy to the Respondent by 20.9.2021 and the Respondent is directed to file its written arguments by 20.10,2021.

Both the parties are directed to file list of documents on which they rely as well as the those paras of the Contract and other contract documents which they refer to in their respective arguments.

After the arguments are filed by both the parties a date will be fixed on VC to settle the dates on which arguments will be heard.

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–05:– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के कॉन्ट्रैक्टर Afcons Infrastructure Limited द्वारा Arbitration में संदर्भित रू0 443.83 करोड़ के विवादित भुगतान विषयक वाद के सम्बन्ध में।

यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न 67वीं बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया था कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के अधिकृतहस्ताक्षरकर्ता, श्री मैथ्यू जॉन, द्वारा पंत्राक संख्या ALEP/4546/2021/MJ/0927 dated 01.07. 2021 के माध्यम से सूचित किया गया था कि पैकेज–2 के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा Contract Agreement के Clause 26.3 के अन्तर्गत विवादित दावो के समाधान हेतु प्रकरण Arbitration को संदर्भित कर दिया गया है तथा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा श्री अशोक बी0 देसाई, चीफ इन्जीनियर एस एस एन एल (प्रोजेक्ट) सेवा निवृत्त को आर्बिट्रल पैनल में कॉन्ट्रैक्टर की ओर से आरबिट्रैटर नामित किया गया है।

उक्त कम में यूपीडा के निदेशक मण्डल के सदस्यों दारा श्री बी0वी0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को यूपीडा की ओर से आरबिट्रेटर नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा श्री त्रिपाठी द्वारा यदि किन्ही कारणों से Arbitration करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को यूपीडा द्वारा प्रस्तावित पैनल में से किसी अन्य को नामित करने का अधिकार दिया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही निम्नव् है:–

I. इस कार्यालय के पत्रांक 4106/UPEIDA/19/1114-III/Tech dated 30.07.2021 द्वारा श्री बी0वी त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को यूपीडा की ओर से आर्बिट्रेटर नामित किये जाने की सूचना, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के अधिकृतहस्ताक्षरकर्ता, श्री मैथ्यू जॉन को दी गई है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–06:– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–4 के कॉन्ट्रैक्टर Afcons Infrastructure Limited द्वारा Arbitration में संदर्भित रू0 344.75 करोड़ के विवादित भुगतान विषयक वाद के सम्बन्ध में।

यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न 67वीं बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया था कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–4 के अधिकृतहस्ताक्षरकर्ता, श्री रवि रंजन द्वारा, पंत्राक संख्या ALEP/4546/2021/MJ/0927 दिनांक 01.07. 2021 के माध्यम से सूचित किया गया था कि पैकेज–4 के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा Contract Agreement के Clause 26.3 के अन्तर्गत विवादित दावो के समाधान हेतु प्रकरण Arbitration को संदर्भित कर दिया गया है तथा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा Sri R.P Indoria, Director General (Road Transport) & Special Secretary (Reted) को आर्बिट्रशन पैनल की आरे से आरबिट्रैटर नामित किया गया है।

उक्त कम में यूपीडा के निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को यूपीडा की ओर से आरबिट्रेटर नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही निम्नवत् है:—

I. इस कार्यालय के पत्रांक 4105/UPEIDA/19/1116-II/Tech dated 30-07-2021 द्वारा श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को यूपीडा की ओर से आर्बिट्रेटर नामित किये जाने की सूचना, आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज—4 के अधिकृतहस्ताक्षरकर्ता, श्री रवि रंजन को दी गयी है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—07:— अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:—

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	लेखाकार कम कैशियर	28.06.2021	06 माह	28.12.2021	सं0—1912 / यूपीडा / 1963 / 20 / अधि0 दिनांक 14.07.2021
2.	श्री अर्पित अवस्थी	मीडिया सहायक	07.07.2021	06 माह	07.01.2022	सं0—1900 / यूपीडा / 1776 / 20 / अधि0 दिनांक 14.07.2021
3.	श्री भूप नारायण	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—1981 / यूपीडा / 1640 / 20 / अधि0 दिनांक 16.07.2021
4.	श्री वाई0के0शर्मा	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—2010 / यूपीडा / 1639 / 20 / अधि0 दिनांक 19.07.2021
5.	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—2011 / यूपीडा / 1637 / 20 / अधि0 दिनांक 19.07.2021
6.	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	31.07.2021	03 माह	31.10.2021	सं0—2086 / यूपीडा / 1094 / 18 / अधि0 दिनांक 20.07.2021
7.	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	25.06.2021	06 माह	25.12.2021	सं0—2105 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दिनांक 22.07.2021
8.	श्री नरेन्द्र सिंह	भू—अर्जन / सहायक भू—अर्जन अधिकारी	30.06.2021	03 माह	30.09.2021	सं0—2161 / यूपीडा / 1959 / 20 / अधि0 दिनांक 23.07.2021
9.	श्री ब्रम्ह्य नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2021	06 माह	25.01.2022	सं0—2160 / यूपीडा / 1408 / 19 / अधि0 दिनांक 23.07.2021
10.	श्री अजय कुमार गुप्ता	लेखाकार	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—4064 / यूपीडा / 504 / 15 / अधि0 दिनांक 29.07.2021
11.	श्री हरिशंकर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—4088 / यूपीडा / 1638 / 20 / अधि0 दिनांक 29.07.2021
12.	श्री रवि शंकर निगम	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2021	06 माह	25.01.2022	सं0—4062 / यूपीडा / 1405 / 19 / अधि0 दिनांक 29.07.2021
13.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—4089 / यूपीडा / 1641 / 20 / अधि0 दिनांक 29.07.2021
14.	श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2021	06 माह	31.01.2022	सं0—4061 / यूपीडा / 1642 / 20 / अधि0 दिनांक 29.07.2021
15.	श्री राम खेलावन वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2021	03 माह	25.10.2021	सं0—4146 / यूपीडा / 1412 / 19 / अधि0 दिनांक 02.08.2021
16.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2021	06 माह	18.03.2022	सं0—4205 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दिनांक 04.08.2021
17.	श्री नामवर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.08.2021	06 माह	12.02.2022	सं0—4206 / यूपीडा / 1229 / 19 / अधि0 दिनांक 04.08.2021

18.	श्री उमाशंकर सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2021	06 माह	25.01.2022	सं0–4290 / यूपीडा / 1380 / 19 / अधि0 दिनांक 06.08.2021
19.	श्री श्याम शंकर शुक्ल	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	11.08.2021	06 माह	11.02.2022	सं0–4289 / यूपीडा / 261 / 14 / अधि0 दिनांक 06.08.2021
20.	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.08.2021	06 माह	12.02.2022	सं0–4291 / यूपीडा / 1218 / 19 / अधि0 दिनांक 06.08.2021
21.	श्री राधेश्याम विश्वकर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–4355 / यूपीडा / 1666 / 20 / अधि0 दिनांक 09.08.2021
22.	श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	29.07.2021	01 वर्ष	29.07.2022	सं0–4325 / यूपीडा / 1789 / 20 / अधि0 दिनांक 09.08.2021
23.	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	11.08.2021	06 माह	11.02.2022	सं0–4506 / यूपीडा / 528 / 15 / अधि0 दिनांक 16.08.2021
24.	श्री राम कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–4614 / यूपीडा / 1652 / 20 / अधि0 दिनांक 18.08.2021
25.	श्री राम कृष्ण गौड़	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–4722 / यूपीडा / 1655 / 20 / अधि0 दिनांक 23.08.2021

2. यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री बृहमानन्द	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह नियुक्ति	24.07.2021	सं0–2159 / यूपीडा / 2121 / 21 / अधि0 दिनांक 23.07.2021

कार्यवाही / निर्णय अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–07 के उप बिन्दु–01 व 02 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08ः– **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर / फेन्सिंग की देखरेख / तोड़–फोड़ की रिर्पोटिंग, जानवरों के प्रवेश को रोकने एवं आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में रखने के लिये एजेन्सी चयन करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर / फेन्सिंग की देखरेख / तोड़–फोड़ की रिर्पोटिंग, जानवरों के प्रवेश को रोकने एवं आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में रखने के लिये एजेन्सी चयन करने हेतु ई0निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी का चयन किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–09ः– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं को कोविड–19 द्वितीय लहर के कारण समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या–01 से 08 तक के निर्माणकर्ताओं के अग्रेत्तर 60 दिवस की समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10ः– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना अथॉरिटी इंजीनियर–1 को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय मुख्य महाप्रबन्धक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल की 64वी बैठक में अथॉरिटी इंजीनियर–1 को 04.03.2021 से 06.01.2022 तक 10 माह की समयवृद्धि प्रदान की गई थी, जिसमें प्रथम 06 माह का समयवृद्धि पूर्व में प्रदान की जा चुकी है एवं शेष 03 माह की समयवृद्धि दिनांक 03.12.2021 तक यूपीडा द्वारा अपने पत्रांक–4738 / यूपीडा / 18 / 865–VII/Tech. दिनांक 23.08.2021 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अथॉरिटी इंजीनियर–2 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही आगामी निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 26.08.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।**

कार्यवाही / निर्णय विधि सलाहकार यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रचलित 03 वादों में यूपीडा की ओर से प्रतिशपथ पत्र शीघ्र दाखिल कर दिया जायेगा एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में 04 वादों में भी प्रतिशपथ पत्र शीघ्र दाखिल कर दिया जायेगा। रिट याचिका संख्या–18677 / 2021 मेसर्स राज फ्रोजन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य में यूपीडा की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रदेश सरकार के पक्ष की पैरवी हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष कार्याधिकारी श्री चुनकू राम पटेल एवं विधि सलाहकार, श्री शरद तिवारी को जालौन जनपद में भ्रमण कर भूमि अभिलेखों को परीक्षण हेतु जिलाधिकारी के साथ बैठक करने हेतु निर्देशित किया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **Shifting of 220 kV D/C NTPC Auraiya-Malanpur transmission line of MPPTCL form ROW of Bundelkhand Expressway at chainage 248+500.**

कार्यवाही / निर्णय बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के ROW में पड़ने वाली MPPTCL की 220 के0वी0 पारेषण लाइन के विस्थापन से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु–13 के सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया गया कि यद्यपि Narrow Base टावरों से लाइन के विस्थापन में अधिक व्यय होगा परन्तु Narrow Base टावर के प्रयोग से टावरो के नीचें की भूमि का बहुत कम क्षेत्रफल प्रभावित होने के कारण लाइन के विस्थापन के समय कास्तकारों द्वारा प्रतिरोध करने की बहुत कम सम्भावना होगी तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का कार्य निर्बाध गति से हो पायेगा। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पारेषण लाइन के विस्थापन का कार्य Narrow Base टावरों से करवाने तथा तत्सम्बन्धी सुपरविजन चार्जेज MPPTCL को भुगतान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी 06 पैकेजो में ई0पी0सी0 ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (Appointed Date) दिनांकः 15.01.2020 दी गई थी। तद्क्रम में उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्तमान में दिनांकः 24.08.2021 तक सभी पैकेजों की भौतिक व वित्तीय प्रगति निम्नवत् है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	ठेकेदारों के नाम	दिनांक 24.08.2021 तक भौतिक प्रगति(%)	दिनांक 24.08.2021 तक वित्तीय प्रगति(%)
1	I	एफ्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	65.97%	47.43%
2	II	एफ्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	65.19%	49.52%
3	III	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	68.43%	57.47%
4	IV	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	82.74%	74.07%
5	V	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	73.55%	66.07%
6	VI	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	65.21%	52.37%
		कुल प्रतिशत	**70.41%**	**58.21%**

कार्यवाही/निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	कार्य का नाम
1.	IV	**1.** MCW और चैनेज 179+050 पर Wayside Amenity के Ramp 1 के बीच अवरूद्ध होने वाले जल की निकास हेतु Ramp 1 के चैनेज 0+380 पर LHS में 1X1.20m Dia के Hume Pipe Culvert के निर्माण का कार्य। **2.** MCW और चैनेज 179+050 पर Wayside Amenity के Ramp 1 के बीच अवरूद्ध होने वाले जल की निकास हेतु Ramp 1 के चैनेज 0+520 पर LHS में 1X1.20m Dia के Hume Pipe Culvert के निर्माण का कार्य। **3.** MCW और चैनेज 179+050 पर Wayside Amenity के Ramp 2 के बीच अवरूद्ध होने वाले जल की निकास हेतु Ramp 2 के चैनेज 1+000 पर RHS में 1X1.20m Dia के Hume Pipe Culvert के निर्माण का कार्य। **4.** सर्विस रोड (LHS) में चैनेज 165+537.95 पर 1X4mX1.5m बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य। कन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट में प्राविधानित 1X3mX3m साइज के बॉक्स कल्वर्ट को चेन्ज ऑफ स्कोप ऑर्डर में समायोजित किया जायेगा। **5.** चैनेज 174+610 (LHS) पर NH-27 और सर्विस रोड़ के जंक्शन पर 1X2X2m साइज के बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य। **6.** चैनेज 174+644 (RHS) पर इण्टरचेन्ज के लूप के निकट ग्राम भुआ को NH-27 से जोड़ने वाली 6m चौड़ी मैटेल्ड अप्रोच रोड़ एवं लूप से NH-27 के मध्य 7m चौड़ाई एवं 300m लम्बाई में सर्विस रोड़ के निर्माण का कार्य। **AE-2, COS Notice letter no- ICT:846:APM:3425 dated: 13/07/2021**
		1. चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत अनुमोदन (Aprroval) होने के फलस्वरूप निम्नांकित कार्यों का निर्माण कार्य। (i) MCW के RHS में चैनेज 243.850 से 244.590 तक 3.75 मी0 चौड़ाई की 740.00 मी0 लम्बाई में सर्विस रोड़ के निर्माण का कार्य।

2. V

(ii) चैनेज 243+339 के इण्टरचैन्ज के लूप 1 और 2 के RHS में चैनेज 1.660 से 2.910 तक 3.75 मी0 चौड़ाई की 1250 मी0 लम्बाई में सर्विस रोड़ के निर्माण का कार्य।

(iii) चैनेज 243+339 के इण्टरचैन्ज के लूप 1 और 2 के Along प्रस्तावित सर्विस रोड़ के चैनेज 1.775 और 2.675 पर 02 Nos. 2mX2m साइज के बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।

(iv) चैनेज 243+339 के इण्टरचैन्ज के लूप 1 और 2 के Along प्रस्तावित सर्विस रोड़ के चैनेज 1+700 और 2.010 पर 1X600 mm dia के 02Nos. ह्यूम पाइप कल्वर्ट (GUL Culvert) के निर्माण का कार्य।

(v) MCW के Along प्रस्तावित सर्विस रोड़ के चैनेज 244+360 पर 1X600mm dia के 01No. ह्यूम पाइप कल्वर्ट (GUL Culvert) का निर्माण कार्य।

(vi) MCW के Along प्रस्तावित सर्विस रोड़ के चैनेज 244+300 पर 1X600mm dia के 01No. Utility Duct के निर्माण का कार्य।

AE-2, COS Notice letter no- ICT:847:APM:4318 dated: 10/08/2021

3. VI

1. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के चैनेज 279.642 पर प्रस्तावित इण्टरचैन्ज के Across आने वाली HPCL और IOCL Pipe Lines के ऊपर बनने वाली विभिन्न संरचनाओं के Span Arrangements में वास्तविक स्थलीय परिस्थितियों के कारण मामूली परिवर्तन के दृष्टिगत अथॉरिटी इंजीनियर के अनुरोध के क्रम में Revised Span Arrangements के अनुसार निम्नवत् कार्यों का निर्माण।

Sl. No.	Structure Category	Number of Structure	Span Arrangement		Remark
			Earlier	Revised	
1.	Type-A	1	2X9.45X2.00m	2X10.000X3.100 m	In direct ramp-4 actual Ch: 000+586.342 in place of earlier Ch: 0+622.362
2.	Type-B	1	2X9.45X3.75m	2X9.725X3.750m	In Main Carriageway
3.	Type-C	2	2X9.45X2.000m	2X9.875X2.000m	In direct ramp-1 & Service road-1
4.	Type-D	2	2X9.45X2.00m	2X9.875X2.000m	In direct ramp-3 actual Ch: 000+141.708 in place of earlier Ch: 000+202.561 and at service road-2 actual Ch: 000+180.371 in place of earlier Ch: 000+218.476

AE-2, COS Notice letter no- ICT:847:APM:4364 dated: 13/08/2021

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>

उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **यूपीडा में आर्बीट्रेशन कार्य कर रहे अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त विशेष मानदेय दिये जाने के संबंध में।**

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण परियोजना के निर्माणकर्ताओं के द्वारा डिफेक्ट लायॅबिलिटी पीरियड के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना के पांच पैकेजों में से पैकेज संख्या–05 के निर्माणकर्ता मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड द्वारा रू0 288.12 करोड का आर्बीट्रेशन केस किया गया है, जिसकी पैरवी यूपीडा के संम्बन्धित तकनीकी स्टाफ द्वारा सीनियर एडवोकेट श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा पैकेज संख्या–02 व 04 के निर्माणकर्ता मेसर्स एफ्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा यूपीडा को Dispute Resolution Clause के अंतर्गत नोटिस भेजते हुये कमशः रू0 344.75 करोड़ व रू0 443.83 करोड़ का भुगतान उनके अनुसार बकाया विविध लेनदारियों हेतु करने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि जो एक्सप्रेसवे परियोजनायें वर्तमान में गतिमान है, उनके पूर्ण होने के पश्चात् आर्बीट्रेशन प्रकरणों में बढ़ोत्तरी होने की पूर्ण सम्भावना है। वर्तमान परिदृश्य में यूपीडा के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक होगा कि Contract Agreement से सम्बन्धित Techno Legal प्रकरणों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार या मांगे जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों को सुझाव व संस्तुति देने, Dispute Resolution, Arbitration तथा कोर्ट केस सम्बन्धी प्रकरणों में समय से उत्तर/Counter Claim तैयार कराने, तैयार उत्तरों का Techno Legal परीक्षण कर Mediator/Arbitration Tribunal/Court में दाखिल करवाने तथा केसो की प्रभावी पैरवी करने आदि विविध कार्यो हेतु एक Dedicated Techno–Legal Cell की स्थापना का अनुमोदन निदेशक मण्डल की 65वीं बैठक दिनांक 20.05.2021 में लिया गया था।

चूँकि यूपीडा में **आर्बीट्रेशन का कार्य** प्रारम्भ हो गया है एवं "यूपीडा में Techno-Legal Cell" का गठन अभी नहीं हो सका है। अतः मुख्य महाप्रबन्धक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं महाप्रबन्धक श्री एन0एन0 श्रीवास्तव द्वारा अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त आर्बीट्रेशन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। इन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अतिरिक्त पद के कार्य (मुख्य महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक Techno-Legal Cell) के दृष्टिगत उनके द्वारा अतिरिक्त वेतन की मॉग की गई है। सूच्य है कि वर्तमान दोनों अधिकारी द्वारा यूपीडा में लगभग रू0 870.75 करोड़ का आर्बीट्रेशन कार्य अतिरिक्त कार्य देख रहे है। अतः कार्य महत्व एवं उनकी सेवाओं की अनिवार्यता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत उनकी वर्तमान संविदा परिलब्धियों के अतिरिक्त मुख्य महाप्रबन्धक श्री अनिल कुमार पाण्डेय को संविदा वेतन के अतिरिक्त विशेष मानदेय के रूप में रू0 70,000.00/– (रू0 सत्तर हजार मात्र) एवं महा प्रबन्धक श्री एन0एन0 श्रीवास्तव को संविदा वेतन के अतिरिक्त विशेष मानदेय के रूप में रू0 40,000.00/– (रू0 चालीस हजार मात्र) दिये जाने का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में कृत कार्यवाही पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग व्यवस्था हेतु 20 इनोवा वाहन का कय विषयक।

कार्यवाही / निर्णय

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे की भाँति पेट्रोलिंग व्यवस्था संचालित की जानी है, जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशक मण्डल की 66वीं बैठक दिनांक 15.06.2021 में पारित किया जा चुका है। 20 इनोवा वाहन क्रय करने हेतु यूपीडा के प्रशासनिक विभाग उ0प्र0 औद्योगिक विकास विभाग से प्रशासनिक अनुमति मांगी गयी थी जिस पर शासन के पत्र संख्या–1511/77–3–2021–50एम/2021 दिनांक 17 अगस्त, 2021 द्वारा "**कृपया उक्त 20 वाहन क्रय किये जाने हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें**" स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृति के क्रम में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे की भाँति 20 इनोवा वाहन क्रय करने हेतु जेम पोर्टल से कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–01 **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रत्येक पैकेज में वृक्षारोपण के पर्यवेक्षण के लिए संविदा पर रिटायर्ड फॉरेस्टर/डिप्टी रेंजर रखने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार्यवाही निर्णय संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया गया है रोपित वृक्षों की मॉनीटरिंग का कार्य वरिष्ठ प्रबन्धक (वन) के पर्यवेक्षण में कराया जाता है। इस कार्य हेतु उन्हें प्रत्येक पैकेज में एक फारेस्टर संविदा पर उपलब्ध कराये गये है। जिससे वृक्षों की नियमित ट्रैकिंग हो एवं फारेस्टर द्वारा अपने क्षेत्र के वृक्षों का नियमित निरीक्षण एवं सूख रहे वृक्षो के स्थान पर नये वृक्षों (पौधो) के वृक्षारोपण कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है। उक्त की भॉति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 08 पैकेज हेतु 08 फारेस्टर, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु निर्धारित वेतन एवं परफारमेंस भत्ता पर रखने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर सम्यक् विचारो उपरान्त डिप्टी रेंजर पद पर तैनाती का औचित्य न पाते हुये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु 08 फारेस्टर की तैनाती संविदा पर वेतन रू0 15,000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है एवं रू0 10,000.00 प्रतिमाह परफारमेंस भत्ता अर्थात कुल रू0 25,000.00 प्रतिमाह (वरिष्ठ प्रबन्धक, (वन) के सत्यापन उपरान्त) दिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।**

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

(धनराशि करोड में)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर / वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल
1	2	3		4	5
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	250.00	195.38	123.98
	योग		**250.00**	**195.38**	**123.98**
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1,106.79	1,106.79	1,006.79
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	800.00	800.00	800.00
	योग		**1,906.79**	**1,906.79**	**1,806.79**
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	840.00	251.33	176.49
		अनुदान संख्या–7	941.68	470.84	235.00
	योग		**1,781.68**	**722.17**	**411.49**
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	607.48	450.00	300.00
		भूमि कय	252.34	-	-
	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	-		
	योग		**859.82**	**450.00**	**300.00**
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	57.75	22.27	12.16
			57.75	**22.27**	**12.16**
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	1,435.86	1,435.86	850.00
	अनुपूरा मांग के माध्यम से	निर्माण कार्य	100.00	-	-
		भूमि कय	55.85	-	-
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	900.00	900.00	810.00
	योग		**2,491.71**	**2,335.86**	**1,660.00**
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	329.50	117.89	68.91
	योग		**329.50**	**117.89**	**68.91**
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	-	-
	योग		**150.00**	**-**	-
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	भूमि कय हेतु	2,200.00	2,200.00	2,200.00
		भूमि कय हेतु	5,000.00	-	-
		यूटीलिटी एवं अन्य व्यय	489.24	200.00	44.74
	योग		**7,689.24**	**2,400.00**	**2,244.74**
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि कय हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		163.62	59.06	55.93
	योग		**163.62**	**59.06**	**55.93**
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	50.00	-	-
	अनुपूरा मांग के माध्यम से	अनुदान संख्या–7	50.00	-	-
	योग		**100.00**	**-**	-
	महायोग		**15,780.11**	**8,209.42**	**6,684.00**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–03:– **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को त्वरित उपचार एवं नजदीकी चिकित्सालय में पहुँचाने की दृष्टि से प्रत्येक पैकेजों में 01–01 कुल 08 एम्बुलेन्स हेतु एजेन्सी चयन करने पर प्रस्ताव का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को त्वरित उपचार एवं नजदीकी चिकित्सालय में पहुँचाने की दृष्टि से प्रत्येक पैकेजों में 01–01 कुल 08 एम्बुलेन्स हेतु एजेन्सी चयन करने पर प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को सहर्ष अवगत कराया कि भारत में बनने जा रही ब्रम्होस डिफेन्स सिस्टम भी उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर के अन्तर्गत बनने जा रही है एवं दिनांक 24.08.2021 को ब्रम्होस एयरोस्पेस टीम द्वारा स्थल चयन हेतु यूपीडा के अधिकारियों के साथ सरोजनी नगर क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। मिसाईल के निर्माण हेतु भूमि 80 हेक्टेयर लीज पर दी जानी प्रस्तावित है। डिफेन्स कॉरिडोर विकास परियोजना का शिलान्यास अलीगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि भारत डायनेमिक्स लि0 के साथ दिनांक 05.08.2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एम0ओ0यू0 निष्पादित हुआ है एवं उन्हें लगभग 183 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना की अद्यतन प्रगति निदेशक मण्डल के संज्ञान हेतु प्रस्तुत की जानी है, जो निम्नवत् है :–

1. भूमि क्रय–1428.7442 हेक्टेयर
2. कुल अनुबंध–67
3. भूमि आवंटन–22 औद्योगिक इकाई एवं 74.401 हेक्टेयर
4. कुल प्रस्तावित निवेश रू0 1,45,4.33 करोड़

उक्त के अतिरिक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के दोनो किनारों पर इण्डस्ट्रियल बेल्ट बनाई जानी है, जिससे सम्बन्धित प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त के अतिरिक्त आगरा–रिंग रोड का कुछ हिस्सा यूपीडा द्वारा बनाया जाना है। इस रिंग रोड के निर्माण से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ने की सम्भावना है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण एन0एच0आई0 द्वारा किये जाने की सम्भावना है। यदि एन0एच0आई0 द्वारा यूपीडा हेतु सड़क का निर्माण किया जाता है, तो यूपीडा द्वारा भूमि क्रय / अधिग्रहीत कर एन0एच0आई0 को उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध मे कार्यवाही की जाती है, तो यूपीडा भू–अर्जन सम्बन्धित स्टॉफ की सैलरी एवं भूमि की वास्तविक मूल्य ही एन0एच0आई0 से लेगा।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि एस0बी0आई0 कैप का रिवाईज प्रपोजल प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार 'गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के क्रियान्वयन हेतु आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर–राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने तथा पी0पी0पी0 मॉडल पर परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य हेतु विशिष्ट परामर्शी के रूप में मै0 एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लि0 की सेवाएँ नॉमिनेशन के आधार पर आबद्ध किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था। शासन में हुए विचार विमर्श के अन्तर्गत आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर–राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त ऋण–स्वीकृति पत्र के आलोक में यह मत स्थिर किया गया है कि मै0 एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लि0 की सेवाएँ नॉमिनेशन के आधर पर मात्र पी0पी0पी0 मॉडल पर परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य हेतु विशिष्ट परामर्शी के रूप में प्राप्त की जाए। इस सम्बन्ध में एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लि0 से एक संशोधित प्रस्ताव उनके पत्रांक NDRO/PASF/21-22/133 दिनांक 27 अगस्त 2021 द्वारा प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर दिनांक 27 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश शासन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। तदनुसार प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं। निदेशक मण्डल ने एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लि0 के संशोधित प्रस्ताव का अवलोकन करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस सम्बन्ध में समस्त अग्रगामी कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया। उत्तर प्रदेश शासन से विषयान्तर्गत अनुमोदन प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्रवाई करके निदेशक मण्डल को तदनुसार यथासमय सूचित किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को यूपीडा के आय व्यय का संक्षिप्त लेखा विवरण देते हुये अवगत कराया कि इस वित्तीय वर्ष शासन द्वारा कुल बजट प्राविधान रू0 14080.11 करोड़ तथा वित्तीय संस्थाओं से दिनांक 28.08.2021 तक प्राप्त ऋण रू0 1700 करोड़ रहा इस प्रकार कुल रू0 15780.11 करोड़ का बजट उपलब्ध था। शासन/वित्तीय संस्थाओं से जारी स्वीकृति दिनांक 28.08.2021 तक रू0 8209.42 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष दिनांक 28.08.2021 तक कुल रू0 6684 करोड़ व्यय हुआ है। जिसमें भूमि मद पर रू0 2200 करोड़, ऋण का ब्याज भुगतान रू0 548.49 करोड़ तथा निर्माण एवं अन्य मदों पर रू0 3935.51 करोड़ व्यय हुआ है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टॉयलेट ब्लाक बनवाये जाने के लिये बैंको को वित्तीय पोषण हेतु पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।

अतं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.08.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी